जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/गोपनीय/2015/3798 दिनांकः 10.09.2015

प्रति,

समस्त वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य,
नर्सिंग परीक्षा केन्द्र,
परिक्षेत्र जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म0प्र0)

विषयः–विश्वविद्यालय के अनुमति प्राप्त किये बिना अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है विश्वविद्यालय के संज्ञान में यह आया है कि नर्सिंग परीक्षाओं हेतु गठित किये गये परीक्षा केन्द्रों पर कुछ छात्रों को अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित किया जा रहा है। जो कि उचित नहीं है। क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आयोजित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों प्राचार्यो की बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि किसी भी स्थिति में बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के परीक्षार्थी को अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में ना बैठाया जाये। किन्तु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से शिकायतें प्राप्त हो रही है, कि प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जा रहा है।

अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में किसी भी परीक्षार्थी को बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अण्डरटेकिंग पर परीक्षा में ना बैठाना जाये। यदि इसके बाद भी अण्डर टेकिंग के आधार पर परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष की होगी।

परीक्षा अत्यावश्यक कार्य में सहयोग प्रदान करें।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल मध्य प्रदेश।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

उप–कुलसचिव (परीक्षा)